अनुदान संख्या 15 – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 15 - DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	121038,41,00	435596,24,00	554244,83,80	+118648,59,80
पूरक	Supplementary	314557,83,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				59,68,90
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		51197,02,00	11188,34,97	-40008,67,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				40008,26,98

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, हालांकि सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में ₹314557.83 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, फिर भी व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹11864859.80 लाख अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय ₹11864859,80,000) था। **अधिक व्यय के लिए संसद द्वारा अधिक अनुदान मांगों के विनियमन की स्वीकृति की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुईः–

Notes and comments

1. In the revenue section of grant, although supplementary grant of ₹314557.83 lakhs was obtained in September, 2020 and February, 2021, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹11864859.80 lakhs (actual excess was ₹11864859,80,000). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	7146.00	6183.91	6096.22	-87.69
पु.	R.	-962.09			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	12093526.00			
पू.	S.	31455783.00	43547362.01	55418278.40	+11870916.39
पु.	R.	-1946.99			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	1190.00	..	..	..
पु.	R.	-1190.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1979.00	109.18	109.18	..
पु.	R.	-1869.82			

(I) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए अधिक व्यय (₹4663.00 लाख) किया गया जैसाकि मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – खाद्य सहायिकी – एनएफसीए के

(I) The excess (₹4663.00 lakhs) occurred for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining

अंतर्गत खाद्यान्न लेनदेनों पर एफसीआई तथा अन्य को देय सहायिकी" के अंतर्गत ₹30455783.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹11875863.00 लाख था।

supplementary grants of ₹30455783.00 lakhs under Major Head "2408" - "Food - Food Subsidies - Subsidy payable to FCI and others on foodgrains transactions under NFSA". Actual excess, however, was ₹11875863.00 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – निदेशन और प्रशासन – अन्य कार्यालय" के अंतर्गत भी अधिक व्यय हुआ – ₹800.00 लाख का अधिक व्यय (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईएफसीआई लि. के पिछले वर्षों के एजेंसी कमीशन हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Excess also occurred under Major Head "2408" - "Food - Direction and Administration - Other Offices" - excess of ₹800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards agency commission of previous years of IFCI Limited.

2. उपर्युक्त अधिक व्यय को बचतों द्वारा निम्नानुसार आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गयाः–

2. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) ₹1190.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹1000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" – "भंडारण और भांडागार – अन्य व्यय – राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1190.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹1000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage godowns in NE Region by State Governments" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – खाद्य सहायिकी – वर्ष 2017–18 अवधि के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम" – ₹1000.00 लाख का पूरक प्रावधान फरवरी, 2021 में प्राप्त किया गया था जो, तथापि, कम निर्यात की वजह से सब्सिडी के कम दावे प्राप्त होने के कारण ₹189.44 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2408" - "Food - Food Subsidies - Scheme for Assistance to Sugar Mills for 2017-18 Season" - supplementary provision of ₹1000.00 lakhs was obtained in February, 2021 which, however, remained unutilized to the extent of ₹189.44 lakhs - due to receipt of less claims of subsidy owing to less exports.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग" के अंतर्गत – ₹1045.77 लाख की बचत (₹7076.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने तथा कोविड–19 महामारी के कारण कम बैठकों / प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Food and Public Distribution" - saving of ₹1045.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7076.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance, less tours undertaken and less conduction of meetings/trainings owing to COVID-19 pandemic.

(IV) मुख्य शीर्ष "2408" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:–

(का) "खाद्य" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(i) "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन" – ₹1182.66 लाख की बचत (₹2350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आगे और किस्ते जारी किए जाने के लिए राज्यों द्वारा अपेक्षित शर्ते पूरी न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिचालन का सुदृढ़ीकरण" – ₹535.66 लाख की बचत (₹830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किए जाने, प्रयोगशाला उन्नयन के लिए सीपीडब्ल्यूडी से प्रस्ताव प्राप्त न होने, वेब डेशबोर्ड की सुरक्षा ऑडिट न किए जाने तथा एफएम रेडियो अभियान के विस्तार के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ख) "खाद्य सहायिकी – एएवाई परिवारों को पीडीएस के अंतर्गत देय चीनी सहायिकी" – ₹4663.00 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी सहायिकी के भुगतान के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "भंडारण और भांडागार – भांडागार विकास एवं विनियामक प्राधिकरण को सहायता – भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण" – ₹711.00 लाख की बचत (₹1636.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चेयरमैन का रिक्त पद न भरे जाने, कोविड–19 महामारी के कारण वेयरहाऊस के पंजीकरण के लिए कम आवेदन प्राप्त होने, कम निरीक्षण तथा

(IV) Under Major Head "2408" - savings occurred under the followings heads:-

(A) "Food" -

(a) "Direction and Administration" -

(i) "Integrated Management of Public Distribution System" - saving of ₹1182.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2350.00 lakhs) was due to non-fulfilment of requisite conditions by States for release of further instalments.

(ii) "Strengthening of PDS Operation" - saving of ₹535.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹830.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments, non-conduction of training programmes, non-receipt of proposal from CPWD for laboratory upgradation, non-execution of security audit of web dashboard and non-approval of extension of FM Radio campaign.

(b) "Food Subsidies - Sugar Subsidy payable under PDS for AAY Families" - saving of ₹4663.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards payment of sugar subsidy under Public Distribution System.

(B) "Storage and Warehousing - Assistance to Warehousing Development and Regulatory Authority - Warehousing Development and Regulatory Authority" - saving of ₹711.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1636.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant post of chairman, receipt of

कक्षा में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के स्थान पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

less applications for registration of warehouses owing to COVID-19, less inspections and conduction of online training programmes in lieu of physical classroom training.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – चावल को पोषणयुक्त बनाने और इसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण" – ₹1869.82 लाख की बचत (₹1979.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोषणयुक्त चावल के वितरण के लिए राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने की वजह से हुई।

(V) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Fortification of Rice and its Distribution under Public Distribution System" - saving of ₹1869.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1979.00 lakhs) was due to receipt of less claims from State Governments towards distribution of fortified rice.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹260.72 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of ₹260.72 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4408" खाद्य भंडारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4408" Capital Outlay on Food Storage and Warehousing				
मू.	O.	102202.00	104422.00	104381.96	-40.04
पु.	R.	2220.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	2500.00	..	..	..
पु.	R.	-2500.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6408"	Major Head "6408"				
भंडारण एवं भांडागार के लिए कर्ज	Loans for Food Storage and Warehousing				
मू.	O.	5000000.00	1000000.00	1000000.00	..
पु.	R.	-4000000.00			

(I) ₹3000.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹2500.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" – "भंडारण और भांडागार – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹3000.00 lakhs remained wholly unutilized two heads; of these ₹2500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "6408" – "खाद्य – सार्वजिनक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज – एफसीआई को देय अर्थोपाय अग्रिम" – ₹4000000.00 लाख की बचतें (₹5000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को सहायिकी में वृद्धि के कारण अर्थोपाय अग्रिम के जरिए कम वित्त पोषण किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "6408" - "Food - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Ways and Means Advance payable to FCI" - saving of ₹4000000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000000.00 lakhs) was due to less funding through ways and means advances owing to increase in subsidy to Food Corporation of India by the Government.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹320.04 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 46 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹320.04 lakhs occurred constituting 46 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4408" – "भंडारण और भांडागार – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4408" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other

हो गई – ₹2500.00 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “4552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Undertakings-Food Corporation of India” - excess of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “4552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.